वर्ष 4, अंक 80 रु. 1/-

राष्ट्र महिला

मई 2006 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

यह देख कर मन बड़ा अशांत होता है कि 30 अप्रैल को पड़ने वाली *आखा तीज* के अवसर पर समस्त देश में, विशेषकर उत्तर भारत में, बाल विवाह निषेध अधिनियम का घोर उल्लंघन करते हुए सैकड़ों बाल विवाह सम्पन्न किए गये।

इसका मुख्य कारण यह है कि यह अधिनियम महज एक कागजी कानून बन कर रह गया है और माता-पिता अपने नाबालिग पुत्र-पुत्रियों का विवाह करते समय कोई अंकुश महसूस नहीं करते। यह एक विरोधाभास ही है कि अधिनियम के अंतर्गत अल्पायु विवाह गैर-कानूनी तो हैं किन्तु शून्य नहीं हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि गैर-कानूनी रूप से विवाहित युगल विवाहित रह सकते हैं। इसलिए, धड़ल्ले से इसकी अवहेलना की जाती है और कदाचित ही कभी किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है। इस तथ्य के बावजूद भी कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, पुलिस शायद ही कभी कोई कदम उठाती है। आम समाज भी मूक दर्शक बना देखता रहता है और - सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक मजबूरियों के कारण - स्थानीय महत्वपूर्ण लोग, जिनमें मंत्री और विधायक भी शामिल हैं, इस कृत्य को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिक्षित वर्ग भी इसके विरुद्ध पर्याप्त रूप से अपनी आवाज नहीं उठाता। इसके अतिरिक्त, कानून में मामूली से जुर्माने तथा मात्र तीन मास तक की सजा का प्रावधान यह दर्शाता है कि सरकार इस अपराध को गंभीरता से नहीं लेती।

यद्यपि लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21 वर्ष, तथापि विश्व जनसंख्या की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र संघ की 2005 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 50 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पूर्व ही हो जाता है।

बाल विवाहों पर रोक लगाने का एक तरीका है विवाह का अनिवार्य पंजीकरण किया जाना। इससे न केवल बाल विवाहों पर अंकुश लगेगा, अपितु द्विविवाह तथा परस्त्रीगमन संबंधी मामलों में भी सबूत सामने आयेगा। किन्तु पंजीकरण की प्रक्रिया सरल और आसान होनी चाहिए ताकि ग्रामीण इलाकों के लोगों को इसमें कठिनाई न हो। दूसरे, बाल विवाह के अपराध को न केवल संज्ञेय अपितु गैर-जमानती भी बना दिया जाना चाहिए और ऐसे विवाहों में भाग लेने वाले लोगों को भी कानूनी गिरफ्त में लिया जाना चाहिए। साथ ही, कानून को अधिक कठोर बना कर इसका उल्लंघन करने वालों के लिए अवरोधक प्रावधान किया जाना चाहिए।

यह भी अत्यंत आवश्यक है कि बाल विवाह से उत्पन्न कुपरिणामों के बारे में जनसाधारण को शिक्षित किया जाये और उनमें जागरुकता पैदा की जाये। इस परिदृश्य का सबसे भयंकर पहलू यह है कि कम आयु में विवाहित लड़कियां मातृत्व का भार सहने में असमर्थ होती हैं और उनका स्वास्थ्य बरबाद हो जाता है। अल्पायु लड़कियों को पहले ही अपने बचपन में अनेक वंचनाओं का शिकार होना पड़ता है, फिर उनसे पैदा होने वाली संतान कमजोर होती है और मातृत्व एवं बाल मृत्यु दर बढ़ जाती है।

वास्तव में, यह व्याधि इतनी गहरी जड़ें जमाए हुए है और इतनी व्यापक है कि केवल न्यायालय तथा बाहरी पुलिस कार्यवाही से इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। इस सामाजिक बुराई से पार पाने के लिए समाज के ढांचे को बदलने की दिशा में कार्य करके, परिवार पर समाज के दबाव द्वारा ही नियंत्रण पाया जा सकता है।

चर्चा में — बाल विवाह

आखा तीज से एक दिन पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग ने बाल विवाह के प्रतिकूल प्रभावों पर प्रकाश डालने वाला एक पोस्टर जारी किया।

'महिलाएं : हिंसा की शिकार' पर चर्चा

सामाजिक शोध केन्द्र ने अपने वार्षिक दिवस पर नई दिल्ली में एक चर्चा आयोजित की जिसका विषय था 'महिलाएं : हिंसा की शिकार'। गैर-सरकारी संगठनों, मीडिया तथा बौद्धिक वर्ग के लगभग 60 लोगों ने चर्चा में भाग लिया। इससे पूर्व, उद्घाटन सत्र में पुलिस कमिश्नर ने 'महिलाओं पर हिंसा और उनका अनैतिक व्यापार' पर पुलिस प्रशिक्षार्थियों के लिए पहली पुलिस मैन्युअल जारी की। साथ ही सामाजिक शोध केन्द्र ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 'महिलाओं पर हिंसा बंद करो : गर्भ से मृत्यु तक' भी जारी की।

वर्ष 2005 की शोध केन्द्र की रिपोर्ट जारी करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा और समारोह की मुख्य अतिथि डा. गिरिजा व्यास ने बलात्कार के अपराध का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर जागरुकता तथा प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की पंचवर्षीय योजना लिंग आधारित होनी चाहिए और गैर-सरकारी संगठनों, पुलिस तथा नागरिकों के लिए लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि उपरोक्त प्रशिक्षण मैन्युअल का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद किया जाये ताकि यह जनसाधारण तक पहुँच सके।

डा. रंजना कुमारी, डा. गिरिजा व्यास और डा. किरन बेदी सामाजिक शोध केन्द्र की वार्षिक रिपोर्ट प्रदर्शित करते हुए

महिलाएं, कार्य और मानवाधिकार पर सेमिनार

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने अहमदाबाद में 'महिला, कार्य और मानवाधिकार' पर एक दो-दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित इस सेमिनार का आयोजन गुजरात महिला एक्शन ग्रुप की अध्यक्षा श्रीमती उर्मिलाबेन पटेल ने किया।

इस अवसर पर बोलते हुए, डा. व्यास ने कहा कि संविधान द्वारा महिलाओं को प्रदत्त मानवाधिकारों की समानता तथा संरक्षण आश्वस्त किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था के कारण महिलाएं विकास की गति में पिछड़ गयी हैं। सेमिनार में विभिन्न मुद्दों जैसे शिक्षा, महिलाओं के प्रति अपराध, कामकाजी महिलाओं की समस्याएं, महिलाओं के कानूनी अधिकार और सामाजिक-राजनीतिक प्रणाली में उनकी भागीदारी पर चर्चा हुई। सेमिनार की अध्यक्षता राजस्थान की राज्यपाल श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल ने की। लगभग 450 बौद्धिकों, कार्यकर्ताओं, आयोग के सदस्यों, सरकारी संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।

सेमिनार में डा. गिरिजा व्यास (बायें) और श्रीमती उर्मिलाबेन पटेल

राष्ट्रीय महिला आयोग का गुजरात का दौरा

वर्ष 2002 के साम्प्रदायिक दंगों के बाद गुजरात में स्थापित पुनर्वास केन्द्रों में रह रहे लोगों, विशेषकर महिलाओं की दशा का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने कई पुनर्वास केन्द्रों का दौरा किया। वहां की महिलाओं की शोचनीय स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए और इस बात पर जोर देते हुए कि वहां रह रहे लोगों को मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, आयोग ने सरकार से तीन मास के अंदर मूल सुविधाओं में सुधार करने को कहा है।

अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास के नेतृत्व में गयी इस समिति के अन्य सदस्यगण थे सुश्री यास्मीन अब्रार, सुश्री नीवा कंवर, सदस्य-सचिव श्री एन.पी. गुप्ता, उप सचिव सुश्री गुरप्रीत देव और सुश्री पाम राजपूत।

अध्यक्षा ने कहा कि दंगा-पीड़ितों की रहने की दशा सुधारने के लिए सरकार को अधिक काम करने की आवश्यकता है। अपने सर्वेक्षण के दौरान, समिति ने बातवा में फैजल पार्क तथा अर्श कॉलोनी का मुआयना किया और नरोल में बॉम्बे होटल देखा। डा. व्यास ने कहा कि उनके सामने ऐसे तीन मामले आये जिनमें दंगा पीड़ितों

सुश्री गुरप्रीत देव, सुश्री यास्मीन अब्रार, डा. गिरिजा व्यास, श्री एन.पी. गुप्ता दंगा पीड़ितों के साथ बात करते हुए

की शिकायतों पर अब तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गयी है। उन्होंने सरकार से कहा कि तीन से छः सप्ताह के बीच एफ. आई.आर. दर्ज की जानी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि न तो वहां पीने के पानी की ठीक व्यवस्था है, न ही स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली संस्थाएं काम कर रही हैं, न रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र हैं और न समुचित सफाई व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, पास में कोई पुलिस स्टेशन, स्कूल या आंगनवाड़ी भी नहीं है। आयोग द्वारा गठित एक उप-समिति तीन मास बाद इन सारी बातों का पुनरीक्षण करेगी।

बाद में, समिति ने राज्य के पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और महिलाओं के विभिन्न मुद्दों जैसे घटता हुआ लिंग-अनुपात, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, दहेज मृत्यु, बाल विवाह, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, पुलिस में महिलाओं की भर्ती, जन्म-पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण निषेध अधिनियम, राज्य महिला आयोग का कार्यकरण आदि पर चर्चा की।

डा. गिरिजा व्यास (बीच में) गुजरात दंगा पीड़ितों के साथ। उनके दायें सुश्री यास्मीन अब्रार

क्या आप जानते हैं?

भारत में शिशु जन्म के दौरान प्रतिदिन औसतन 360 महिलाओं की मृत्यु होती है। यह समस्या उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से गंभीर हैं।

भारत में प्रति 1,00,000 शिशु जन्मों पर 400 माताओं की मृत्यु हो जाती है। अमेरिका में यह संख्या केवल दस है।

सदस्यों के दौरे

- राष्ट्रीय महिला आयोग की सहायता से श्री मा सोसायटी द्वारा नादिया जिले में रानाघाट के निकट दत्ता फुलिया में आयोजित कानूनी जागरुकता कार्यक्रम का उद्घाटन सदस्या मालिनी भट्टाचार्य ने किया। इसमें स्व-सहायी ग्रुपों, पंचायतों तथा गैर-सरकारी संगठनों के लगभग 50-60 सदस्यों ने भाग लिया।

  बाद में, उन्होंने 'श्रव्य-दृश्य मीडिया का विस्तार तथा महिला प्रतिनिधित्व में परिवर्तन' विषय पर विकास अध्ययन संस्थान, कोलकाता, में एक लेक्चर दिया। तत्पश्चात् सुश्री भट्टाचार्य शान्तिनिकेतन गयीं और स्कूल शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी के विषय पर चर्चा करने के लिए विश्वभारती के शिक्षकों से मिलीं।

- चाकोमोटो चाय बागान खाचरी लाइन में एक ही परिवार के पांच सदस्यों को, जिनमें दो महिलाएं भी थीं, जादू-टोना करने वाली डायन होने के शक में बड़ी क्रूरतापूर्वक मार डालने के मामले की जांच करने सदस्या नीवा कंवर विश्वनाथ चाराली गयीं।

  बाद में, उन्होंने डिप्टी कमीश्नर तथा एस.पी. के साथ एक बैठक की जिसमें महिला उद्धार कार्य में रत सोनितपुर जिले के कई गैर-सरकारी संगठनों तथा सरकारी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

अनैतिक व्यापार (प्रतिषेध) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों की पुनरीक्षा की जाये : आयोग

केन्द्र सरकार द्वारा अनैतिक व्यापार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1956 में संशोधन किए जाने के निर्णय पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि संसद के आगामी सत्र में इस पर विचार किए जाने से पूर्व, प्रस्तावित संशोधनों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

प्रस्तावित संशोधन विधेयक में एक विवादास्पद खंड है जिसमें 'वेश्यालय में आने वालों' को कठोर दंड दिए जाने का प्रावधान है। इसके विरोध में आयोग को सैक्स कर्मियों सहित अनेक स्थानों से बड़ी संख्या में याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। इनका अध्ययन करने के पश्चात आयोग ने सरकार से उपरोक्त मांग की है। आयोग ने कहा है कि खंड 5(ग) पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है। सैक्स कर्मियों का कहना है कि खंड 5(ग) के परिणामस्वरूप सैक्स व्यापार चोरी-छिपे होने लगेगा जिससे उन्हें एच.आई.वी./एड्स का खतरा बढ़ जायेगा तथा उनका शोषण और अधिक होने लगेगा।

सैक्स कर्मियों के अनुसार, 5(ग) से उनकी रोजी-रोटी खतरे में पड़ जायेगी। 'हमारे ऊपर बच्चों तथा परिवारों की जिम्मेवारी है और ऐसी दशा में हमें अपने स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की परवाह किए बिना, जो भी ग्राहक आयेगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा। सैक्स कर्म भूमिगत हो जाने के कारण, हमें एच.आई.वी. रोकथाम सेवाओं का लाभ उठाने में भी कठिनाई होगी।'

बलात्कार पीड़ितों को मुआवजा

महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने निर्णय लिया है कि मुकदमे के दौरान पुलिस की सहायता करने वाली प्रत्येक बलात्कार पीड़िता को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा। इस योजना का आशय यह है कि न्यायालय में पीड़िता बिना किसी भय के मुजरिम के विरुद्ध बयान दे सके। उसकी अर्जी प्राप्त होने पर, तीन सप्ताह के अंदर उसे 20,000 रुपये अंतरिम राहत दी जायेगी।

पूरा मुआवजा 'जिला राहत और पुनर्वास बोर्ड' एक वर्ष के अंदर तय करेगा बशर्ते कि पीड़िता मुकदमे के दौरान पुलिस की सहायता करे। बोर्ड की स्थापना राज्य सरकारें करेंगी।

यह प्रस्ताव ग्यारहवीं योजना की वित्तीय स्वीकृति के लिए योजना आयोग को भेज दिया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष से यह योजना प्रारंभ होगी।

यह योजना राष्ट्रीय महिला आयोग ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 1993 के आदेश पर तैयार की थी।

साहस का प्रतीक

आखा तीज के दिन जब आठवीं कक्षा की तेरह वर्षीय छात्रा सुशीला का विवाह उसकी माँ ने करना चाहा तो सुशीला ने साहस बटोर कर माँ के इस प्रयास का विरोध किया।

जिला टोंक की तहसील देवली की रहने वाली सुशीला ने अपनी माँ को याद दिलाया कि बाल विवाह एक अपराध है, किन्तु उसकी माँ तथा नानी ने उसका आग्रह नहीं माना।

परन्तु सुशीला ने विवाह न करने का पक्का इरादा कर लिया था। वह अपने नाना के घर से भाग कर अपने ताऊ के घर चली गयी और उनकी मदद मांगी। उसके ताऊ ने जिला प्रशासन और पुलिस की सहायता ली।

राज्य सरकार ने सुशीला को बचाने के लिए अविलंब कार्यवाही की। अब सुशीला आनवा के कस्तूरबा रेजीडेंशल स्कूल में रहेगी जहां उसके रहने तथा खाने की मुफ्त व्यवस्था की जायेगी। जब उसकी आयु 18 वर्ष हो जायेगी तो सरकार उसके विवाह का व्यय वहन करेगी।

हरियाणा में महिला हेल्पलाइन

महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए, हरियाणा पुलिस ने राज्य में पहली बार पानीपत में महिला पुलिस हेल्पलाइन 9416500100 प्रारंभ की है। कहा जा रहा है कि यदि इस योजना से वांछित परिणाम प्राप्त हुए, तो इसे अन्य जिलों में भी आरंभ किया जायेगा।

फोन आने पर पुलिस हेल्पलाइन द्वारा पीड़िता की सहायता तथा मार्गनिर्देशन किया जायेगा। जिला पुलिस फोन पर शिकायतें लेगी और एफ.आई.आर. दर्ज करने सहित जो भी कार्यवाही आवश्यक हो करेगी।

किसी संतोषजनक माध्यम के अभाव में, महिलाओं पर अत्याचार के अनेक मामलों की पुलिस में रिपोर्ट नहीं की जाती।

अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। आकांक्षा इम्प्रेशन, न्यू रोहतक रोड, सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित।
सम्पादक : गौरी सेन